झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 28 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

राoखाoआoo (शिo) - 28/2021 से संबंधित

DISPOSED 14/06/2022

अपीलकर्त्ता स्वतः संज्ञान

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाo, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	गढ़वा जिला अन्तर्गत बड़गड़ प्रखण्ड में मृत कार्डधारियों के नाम पर राशन उठाव किये जाने संबंधी समाचार दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुई थी। उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग के पत्रांक–312 दिनांक–04.06.2021 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से मामले की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। उक्त मामले में प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः आयोग के पत्रांक–474 दिनांक–05.08.2021, पत्रांक–566 दिनांक–27.08.2021 एवं पत्रांक–14 दिनांक–04.01.2022 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को स्मार पत्र निर्गत किया गया। वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। अतः उक्त मामले को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.06.2022 अपराह्न 02:30 बजे रखें। Sd/- 26.5.22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश.doc31

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए व्हाट्सएप पर आये हिन्दुस्तान अखबार की खबर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से स्पष्टीकरण मांगा। प्रकाशित खबर का शीर्षक है **"जरूरतमंदो को नहीं मिल रहा राशन, यहां मुर्दे उठा रहे अनाज"**। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा आयोग को बताया गया कि इस आशय की जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है, जिसमें इस आशय की जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि दो लोगों कि मृत्यु के बावजूद राशन का उठाव हुआ है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया गया कि इस आशय के सन्दर्भ में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति आयोग को भेजें। साथ ही आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलो को गंभीरता से लें और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार करें। इस निर्देश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	